

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह देवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०३२ सालको ऐन नं. ६

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मान्नोतत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर अोजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह देव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।

आर्थिक वर्ष २०३२।३३ को सेवा र कार्यहरूको लागि संचित कोषबाट केही रकम

खर्च गर्ने अधिकार दिने र विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना:- आर्थिक वर्ष २०३२।३३ को सेवा र कार्यहरूको लागि संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह देवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम:- यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०३२" रहेको छ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२१७०

(६)

नेपाल राजपत्र भाग २

२. आर्थिक वर्ष २०३२।३३ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:-

आर्थिक वर्ष २०३२।३३ को निमित्त अनुसूची १ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जम्मा रूपैयाँ २,०५,८७,९७,००० (दुई अरब पाँच करोड सतासी लाख सन्तानब्बे हजार) (पेशकी खर्च ऐन, २०३२ अनुसार खर्च हुने भएको रकमसमेत) मा नबढाई त्यतिसम्म रकम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. विनियोजन:- यो ऐनद्वारा संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको आर्थिक वर्ष २०३२।३३ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

तर, उक्त सेवा र कार्यहरूका निमित्त विनियोजन गरिएको रकम कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट जम्मा रूपैयाँ २०,००,०००।- (बीस लाख) मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।

आधिकारिकता मूद्रमा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२१८

## अनुसूची-१

नेपालको संविधानअनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १           | २             | ३                                 | ४   |
|-------------|---------------|-----------------------------------|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                      | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम<br>रु. हजारमा |
| १           | १-१           | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | ७८,१२   |
| २           | १-२           | राजसभा                            | ३,८३  |
| ३           | १-३           | राष्ट्रिय पञ्चायत                 | ८,६५  |
| ४           | १-४           | महालेखापरीक्षकको विभाग            | २३,३२   |
| ५           | १-५           | सर्वोच्च अदालत                    | ६,४५  |
| ६           | १-६           | लोक सेवा आयोग                     | २२,५१   |
| ७           | १-७           | निर्वाचन आयोग                     | २३,६६   |
| ८           | ११-१          | साँवा भुक्तानी                    | १,५३,१५                                       |
| ९           | ११-२          | व्याज भुक्तानी                    | ५,५५,६७                                       |
| १०          | १२-६          | अन्य                              | ३,००  |
|             |               |                                   | ८,८१,३६                                       |

आधिकारिकता मुद्रण. विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(८)

नेपाल राजपत्र भाग २

## अनुसूची-२

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                           | ४                        |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                | विनियोजित रकम रु. हजारमा |
| १           | १-३           | राष्ट्रिय पञ्चायत           | २३,६०                    |
| २           | २-१           | मन्त्रिपरिषद्               | १,५४,६२                  |
| ३           | २-२           | श्री ५ को सरकारको सचिवालय   | १,६०,६५                  |
| ४           | २-३           | जिल्ला प्रशासन              | ६,३१,७७                  |
| ५           | २-४           | प्रहरी                      | ६५,६२                    |
| ६           | २-५           | कारागार                     | ५२,६४                    |
| ७           | २-६           | विविध                       | ११,००                    |
| ८           | २-७           | प्रशासन सुधार               | ६१,६०                    |
| ९           | ३-१           | मालपोत                      | ७७,४४                    |
| १०          | ३-२           | भन्सार                      | ३०,६६                    |
| ११          | ३-३           | अन्तःशुल्क                  | ३२,३५                    |
| १२          | ३-४           | कर                          | ४,३१                     |
| १३          | ३-५           | राजस्व न्यायाधिकरण          | ७,२२                     |
| १४          | ४-१           | योखना                       | १५,५०                    |
| १५          | ४-२           | तथ्यांक                     | ३,३३                     |
| १६          | ४-३           | टक्सार                      | २२,५५                    |
| १७          | ४-४           | महालेखानियन्त्रकको कार्यालय | ६,८१                     |
| १८          | ४-५           | मेट्रिक नाप तौल             | १,१०,६५                  |
| १९          | ५-१           | अदालत                       | ३,८६                     |
| २०          | ५-२           | महान्यायाधिकारको कार्यालय   | १,७७,०२                  |
| २१          | ६-१           | वैदेशिक सेवा                | ३६,२७                    |
| २२          | ६-२           | विविध                       | १४,५६,७४                 |
| २३          | ७-१           | रक्षा                       | ७,७८,५४                  |
| २४          | ८-१           | शिक्षा                      |                          |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| १           | २             | ३  | ४                           |
|-------------|---------------|--|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                       | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| २५          | ८-२           | स्वास्थ्य  | ३,५२,४४                     |
| २६          | ८-३           | पिउने पानी   | १०,२६                       |
| २७          | ८-४           | पञ्चायत  | १,७८,५५                     |
| २८          | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू                               | १,४७,७६                     |
| २९          | ९-१           | कृषि   | ६०,४३                       |
| ३०          | ९-२           | सिंचाइ   | २८,७८                       |
| ३१          | ९-३           | भूमिसुधार  | १,१४,३१                     |
| ३२          | ९-४           | नापी   | २२,४८                       |
| ३३          | ९-५           | वन   | ६१,५९                       |
| ३४          | ९-६           | उद्योग तथा खानी                                    | २२,५९                       |
| ३५          | ९-७           | संचार  | २,३५,७३                     |
| ३६          | ९-८           | यातायात  | २,३२,६९                     |
| ३७          | ९-९           | विद्युत्   | ५४,४६                       |
| ३८          | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू                                | १०,८७                       |
| ३९          | १०-१          | श्रृण र लगानी                                      | ४०,५०                       |
| ४०          | १२-१          | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको<br>भ्रमण खर्च | ४०,००                       |
| ४१          | १२-२          | निवृत्तभरण, भत्ता तथा उपदान                        | १,२७,१०                     |
| ४२          | १२-३          | अतिथि सत्कार                                       | ४,००                        |
| ४३          | १२-४          | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                   | १,००                        |
| ४४          | १२-५          | मुआब्जा  | ८,००                        |
| ४५          | १२-६          | अन्य   | १,२९,२५                     |
| ४६          | १२-७          | भैपरि आउने   | १,००,००                     |
|             |               |  | ६०,२९,५०                    |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(१०)

नेपाल राजपत्र भाग २

## अनुसूची-३

दस्ता २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                    | ४                           |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य         | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १           | २-७           | प्रशासन सुधार        | ७,४                         |
| २           | ४-१           | योजना                | १५,००                       |
| ३           | ४-२           | तथ्यांक              | ३६,६८                       |
| ४           | ८-१           | शिक्षा               | १६,५६,७८                    |
| ५           | ८-२           | स्वास्थ्य            | ८,५५,१०                     |
| ६           | ८-३           | पिउने पानी           | ६,०१,८५                     |
| ७           | ८-४           | पञ्चायत              | २,६३,६६                     |
| ८           | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू | १,६६,१८                     |
| ९           | ९-१           | कृषि                 | २४,४४,६२                    |
| १०          | ९-२           | सिंचाइ               | १३,६४,०३                    |
| ११          | ९-३           | भूमिसुधार            | १,१७,२४                     |
| १२          | ९-४           | नापि                 | १,४४,०५                     |
| १३          | ९-५           | वन                   | ४,६२,८०                     |
| १४          | ९-६           | उद्योग तथा खानी      | १२,०७,३२                    |
| १५          | ९-७           | संचार                | १,३७,८१                     |
| १६          | ९-८           | यातायात              | ३८,७६,६१                    |
| १७          | ९-९           | विद्युत्             | ८,६८,८६                     |
| १८          | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू  | १,६२,४७                     |
| १९          | १२-६          | अन्य                 | ४०,००                       |
| २०          | १२-७          | भैपरि आउने           | ६०,००                       |
|             |               |                      | १,४५,५८,४७                  |

लालमोहर मिति:- २०३१।१।२०।६

आज्ञाले-

चूडामणिराजसिंह बस्ने  
श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।